

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प.2(6)नविवि/11/2012/पार्ट

जयपुर दिनांक 30 JAN 2020

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर विकास न्यास, भरतपुर में सहायक नगर नियोजक/उप नगर नियोजक का पद सृजित नहीं होने के कारण न्यास में नगर नियोजन से संबंधित कार्यों के सुचारु एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु अग्रिम आदेशों तक उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है।

भवदीय



(हृदेश कुमार शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. मुख्य नगर नियोजक, जयपुर।
5. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव-तृतीय